न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
अपील संख्या 80/2015

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 महावीर प्रसाद पुत्र सुलतान राम जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र सुलतानराम जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. ए.डी.वी. उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील बखिलाफ प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.15
बउनवानी मुकदमा जगदीश बनाम महावीर प्रसाद
मु.नं. 433/2012 बअदालत न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी

अपील संख्या 92/2015

1 महावीर प्रसाद पुत्र सुलतान राम जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र सुलतानराम जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी. जे. ए.डी.वी. उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक
14.07.2015 बउनवानी मुकदमा जगदीश बनाम
महावीर प्रसाद मु.नं. 433/2012 बअदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थित

1. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री अरविन्द सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 27-3-19

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दावा संख्या 433/2012 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 14.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों के पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में प्रथक–प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 जगदीश ने विचारण न्यायालय में दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 469,470,471,472,937 वाके ग्राम मणकसास प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी महावीर प्रसाद ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 473,2439/454, 2440/471 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत नही किया है। सम्पूर्ण खाते का विभाजन नही चाहा है। अत वाद खारिज किया जावें। वादी जगदीश ने विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी के जवाब दावा में अंकित खसरा नम्बर का विधिवत विभाजन रास्ता कायम करते हुये कर दिया जावें। वादी के इस आवेदन पर विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु शेष रहने पर तनकी कायम किये बिना राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 को एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 14.07.2015 को जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तनकी कायम करे बिना जवाब दावे के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। विभाजन प्रस्ताव का अपीलांट को नोटिस नही दिया गया तहसीलदार स्वयं मौका पर नही गया। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.

डब्ल्यू 2012(1) पेज 14, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 841, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 1293, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 512, आर.एल.डब्ल्यू 2012(1) पेज 463, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 639, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 87, आर.एल.डब्ल्यू 2007(1) पेज 553 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। दोनों अपीले स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट द्वारा आक्षेपित खसरा नम्बर को शामिल करते हुये विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में अन्य कोई आक्षेप नही था अत तनकी कायम नही की थी। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट की उपस्थिति अंकित है किन्तु उसके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से इनकार किया जाना भी अंकित है। अपीलांट ने अपनी दोनों अपीलों में यह कही भी अंकित नही किया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं अन्तिम डिक्री से अपीलांट को क्या नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 469,470,471,472,937 वाके ग्राम मणकसास प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी महावीर प्रसाद ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 473,2439/454, 2440/471 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत नही किया है। सम्पूर्ण खाते का विभाजन नही चाहा है। अत वाद खारिज किया जावें। वादी जगदीश ने विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी के जवाब दावा में अंकित खसरा नम्बर का विधिवत विभाजन रास्ता कायम करते हुये कर दिया जावें। वादी के इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन पर विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु शेष रहने पर तनकी कायम किये बिना राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 को पारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावे में अपीलांट ने एक ही आपत्ति की थी। जिसे वादी ने स्वीकार कर लिया इसलिये कोई विवाद बिन्दु शेष नही रहा अत विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली संलग्न विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.07.2015 में अंकित है कि मौके पर वादी व प्रतिवादी उपस्थित है विभाजन प्रस्ताव मौके पर सुविधा सन्तुलन एवं रास्ते का प्रावधान रखते हुये बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विधिवत किया गया प्रतिवादी महावीर प्रसाद मौके पर उपस्थित है। प्रतिवादी ने हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रतिवादी अपीलांट ने अपनी अपील में यह कही भी अंकित नही किया है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं अन्तिम डिक्री से वह किस प्रकार व्यथित है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार प्राथमिक व अन्तिम डिक्री जारी की गई है। रकबे में कोई कमी बेसी नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री को विधि विरूद्व नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर